

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, जनपद एटा।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) बी0 के अनुसार जनपद एटा के पुलिस विभाग के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है –

1. पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार जिले में पुलिस का अधीक्षण उस राज्य सरकार में निहित होगा जिसके अधीन ऐसा जिला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी, या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिक्रमित या नियंत्रित करने के लिये सशक्त नहीं किया जायेगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सद्भाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना है। लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

जनपद पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है जनपद में कुल 2 अपर पुलिस अधीक्षक, 6 पुलिस उपाधीक्षक व 19 थानाध्यक्षों के पद सृजित है। अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में समस्त क्षेत्राधिकारी कार्य करते हैं।

1.1 जनपद में पुलिस का संगठन –

जनपद में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है–

| अपर पुलिस अधीक्षक | क्षेत्राधिकारी | थाना क्षेत्र |
|--|-----------------------|------------------------|
| अपर पुलिस अधीक्षक एटा, अपर पुलिस अधीक्षक,(अपराध) एटा | क्षेत्राधिकारी नगर | 1. कोतवाली नगर |
| | | 2. कोतवाली देहात |
| | | 3. थाना बागवाला |
| | | 4. महिला थाना |
| | क्षेत्राधिकारी सदर | 5. थाना मारहरा |
| | | 6. थाना मिरहची |
| | | 7. थाना पिलुआ |
| | क्षेत्राधिकारी सकीट | 8. थाना सकीट |
| | | 9. थाना मलावन |
| | | 10. थाना रिजोर |
| | क्षेत्राधिकारी जलेसर | 11. थाना जलेसर |
| | | 12. थाना सकरौली |
| | | 13. थाना निधौली कलां |
| | | 14. थाना अवागढ |
| | क्षेत्राधिकारी अलीगंज | 15. थाना अलीगंज |
| | | 16. थाना जैथरा |
| | | 17. थाना जसरथपुर |
| | | 18. थाना नयागाँव |
| | | 19. थाना राजाका रामपुर |
| क्षेत्राधिकारी कार्यालय | पुलिस कार्यालय, | |

1.2 जनपद में स्थित विभिन्न ईकाईयो के कार्यों के पर्यवेक्षण अधिकारी

| क्र० सं० | ईकाई का नाम | पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकारी | पर्यवेक्षक पुलिस अधीक्षक |
|----------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | |

| | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1 | रेडियों शाखा | ए0आर0ओ0 अलीगढ़ | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ |
| 2 | पुलिस कार्यालय | क्षेत्राधिकारी कार्यालय | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |
| 3 | फायर सर्विस | सी0एफ0ओ | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |
| 4 | यातायात पुलिस | क्षेत्राधिकारी नगर | अपर पुलिस अधीक्षक एटा |
| 5 | पुलिस लाइन्स | क्षेत्राधिकारी सदर | अपर पुलिस अधीक्षक एटा |
| 6 | स्थानीय अभिसूचना इकाई | निरीक्षक एल0आई0यू0 | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक |
| 7 | नगर नियंत्रण कक्ष | क्षेत्राधिकारी सदर | अपर पुलिस अधीक्षक एटा |
| 8 | नारकोटिक्स सेल | क्षेत्राधिकारी कार्यालय | अपर पुलिस अधीक्षक, (अपराध) एटा |
| 9 | वी0आई0पी0 | अपर पुलिस अधीक्षक एटा | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा |
| 10 | जनसूचना सैल | अपर पुलिस अधीक्षक, (अपराध) एटा | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा |
| 11 | आंकिक शाखा | क्षेत्राधिकारी सदर एटा | अपर पुलिस अधीक्षक, (अपराध) एटा |
| 12 | फील्ड यूनिट | क्षेत्राधिकारी नगर | अपर पुलिस अधीक्षक, (अपराध) एटा |
| 13 | भवन | क्षेत्राधिकारी जलेसर | अपर पुलिस अधीक्षक एटा |
| 14 | पत्र व्यवहार शाखा | क्षेत्राधिकारी कार्यालय | अपर पुलिस अधीक्षक एटा |
| 15 | विशेष जांच प्रकोष्ठ | क्षेत्राधिकारी कार्यालय | अपर पुलिस अधीक्षक, एटा |
| 16 | महिला सहायता प्रकोष्ठ | क्षेत्राधिकारी नगर | अपर पुलिस अधीक्षक, एटा |
| 17 | डी0सी0आर0बी0 | क्षेत्राधिकारी कार्यालय | अपर पुलिस अधीक्षक, (अपराध) एटा |
| 18 | न्यायालय प्रकरण | क्षेत्राधिकारी कार्यालय | अपर पुलिस अधीक्षक , (अपराध) एटा |
| 19 | सम्मन सेल | क्षेत्राधिकारी कार्यालय | अपर पुलिस अधीक्षक , (अपराध) एटा |

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ रहेगा और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों एवं वारण्टों का पालन एवं निष्पादन करे, लोक शांति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करे, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करे, अपराधियों का पता लगाये और न्यायालय के समक्ष लाये।

2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द0प्र0सं0, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं :-

2.1 पुलिस अधिनियम

| | |
|------|---|
| धारा | अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य |
| 7 | आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्थ पदों के ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की शक्ति होती है जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षावान पाये जायें |

| | |
|------|--|
| 17 | विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शक्ति भंग हुई हो या होने की गम्भीर संभावना हो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है |
| 22 | पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ माने जाते हैं तथा उन्हें जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है |
| 23 | प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों का पालन व निष्पादन करे, लोक शक्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करे, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करे, अपराधियों का पता लगाये तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करे जिनको गिरफ्तार करने के लिए वैधता प्राधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान हैं। इसके लिए उसे बिना वारण्ट किसी शराब की दुकान, जुआ घर या भ्रष्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा |
| 25 | लावारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार में लें तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे |
| 30 | लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की शक्ति। |
| 30क | उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव का रोकने या बिखर जाने के आदेश देने की शक्ति |
| 31 | सार्वजनिक सड़कों व मार्गों, आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य |
| 34 | किसी व्यक्ति द्वारा किसी ढोर का बध करने, उसे निर्दयता से मारने या यातना देने, ढोर गाड़ी से यात्रियों को बाधा पहुंचाने, मार्ग पर गन्दगी व कुड़ा फेकने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों व शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करने पर किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट के अभिरक्षा में ले ले |
| 34 क | उपरोक्त अपराध के शमन करने की शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है |
| 47 | ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व |

2.2 पुलिस रेगुलेशन

| प्रस्तर | कर्तव्य |
|---------------------------|---|
| 12 से 16 पुलिस अधीक्षक | <p>पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता, अनुशासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं।</p> <p>पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित हैं तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठेंगे उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक वैचारिक संसूचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए सूचना के जितने साधन होंगे तदनु रूप उनकी दक्षता होगी। पुलिस पेंशनर्स से उनका संपर्क होना चाहिए और उन्हें विनिर्दिष्ट रीति से जिले में थानों व पुलिस लाइन का निरीक्षण करना चाहिए। आबकारी विषयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है।</p> <p>पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से यथासम्भव वर्ष में एक बार भेंट आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिका में जिले का प्रभार सौंपे जाने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने संबंधित अंतर्विष्ट अनुदेशों का अनुसरण किया जाना चाहिए।</p> |

| | |
|----------------------------|---|
| 17 सहायक पुलिस अधीक्षक एवं | सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों |
|----------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| उपाधीक्षक | द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिए बाध्यकारी न हो। |
| 18 से 23 प्रतिसार निरीक्षक | प्रतिसार निरीक्षक के रिजर्व पुलिस लाइन के भार साधक अधिकारी होते हैं जो कि जवानों की साज सज्जा, अनुशासन, प्रशिक्षण के उत्तरदायी होंगे। आयुध व बारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। |
| 24 रिजर्व सबइंस्पेक्टर | रिजर्व सब इन्सपेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्ड एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवश्यक कार्य को करते हैं। |
| 40 से 43 सर्किल इंस्पेक्टर | सर्किल इंस्पेक्टर के कर्तव्यों के संबंध में उल्लेख है, जिसमें उसका प्रमुख कर्तव्य जांच पडताल की देख-भाल और अपराध का निवारण करना, पुलिस क्षेत्र में निवारक और अनुवेषण कार्यों में सामन्जस्य रखना, थानों का निरीक्षण करना, सभी महत्वपूर्ण विषयों, घटना स्थलों का निरीक्षण व अन्वेषण में मार्गदर्शन करना, स्वयं अन्वेषण करना, क्षेत्र की मासिक रिपोर्ट तैयार करना, पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक आवश्यक घटना की सूचना देना, लाइन्सेसी दुकानों का निरीक्षण करना, अधिनस्थ पुलिस के आचरण की निगरानी करना, अपराधों का दमन और सामन्जस्य बनाये रखने के उत्तरदायित्व से निरन्तर आबद्ध रहना। (वर्तमान में सर्किल इंस्पेक्टर का पद विभाग में नहीं है इन कार्यों का निर्वहन क्षेत्राधिकारी के द्वारा यथा निर्देशित रूप में किया जाता है।) |
| 43 से 50 थानाध्यक्ष | थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह सभी रजिस्ट्रों, अभिलेखों, विवरणियों और रिपोर्टों की शुद्धता के लिए अधिनस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा। उसे क्षेत्र के सभी सभ्रान्त व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उसे थाने की परिधि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से करते रहना चाहिए। थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कांस्टेबिल थाने का भार साधक अधिकारी होगा किन्तु वह तफ्तीश नहीं करेगा। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म न0 299 भरकर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेंगे। |
| 51 | थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना, भारसाधक अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त निर्देशों को अधीनस्थों को बताना, अन्वेषण करना होता है। |
| 55 हेड मोहर्रिर | हेड मोहर्रिर के कर्तव्य i) रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना। ii) हिन्दी रोकड़ बही (पुलिस फार्म न0 224) iii) यदि पुलिस अधीक्षक आदेश दें तो धारा 174 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत पंचायतनामा लिखना। |
| 61 से 64 बीट आरक्षी | कान्स0 नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं पर नम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम करना है। थाने पर सन्तरी ड्यूटी के समय वह अभिरक्षाधीन कैदियों, कोश तथा मालखाना एवं थाने के अन्य सम्पत्तियों की रक्षा करेगा। बीट कान्स0 के रूप में संदिग्ध अपराधियों, फरार अपराधी तथा खानाबदोश अपराधियों की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा। |
| 65 से 69 सशस्त्र पुलिस | सशस्त्र पुलिस के रूप में खजानों, हवालातों के संरक्षक, कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल, आयुध भण्डार, अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है। |
| 89 से 96 चौकीदार | ग्राम चौकीदार द्वारा अपने प्रभाराधीन गाँवों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार कराने का दायित्व होता है। |

2.3 दण्ड प्रक्रिया संहिता

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| द.प्र.सं. की | अधिकारियों/कर्मचारियों के कर्तव्य |
|--------------|-----------------------------------|

| धारा | |
|------|---|
| 36 | पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र में नियुक्त हैं उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाता है। |
| 41 | बिना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओं में करने की शक्तियाँ <ol style="list-style-type: none"> 1. संज्ञेय अपराध की दशा में। 2. कब्जे से गृह भेदन का उपकरण 3. उद्घोषित अपराधी 4. चुराई गयी सम्पत्ति की संभावना। 5. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा 6. सशस्त्र बलों का भगोड़ा। 7. भारत के बाहर भारत में दण्डनीय किया गया अपराध। 8. छोड़े गये सिद्धदोष बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर। 9. वांछित अपराधी। |
| 42 | नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी। |
| 47 | उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। |
| 48 | गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति। |
| 49 | गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उतने से अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। |
| 50 | गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना। |
| 51 | गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी। |
| 52 | गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अकामक आयुधों को अधिग्रहण करने की शक्ति। |
| 53 | पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना। |
| 54 | गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना। |
| 56 | गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। |
| 57 | गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध न रखना। |
| 58 | बिना वारण्ट गिरफ्तारारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना। |
| 60 | अभिरक्षा से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी गिरफ्तार की शक्ति |
| 100 | बन्द स्थान के भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, तलाशी लेने देंगे। |
| 102 | ऐसी वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की शक्ति जिनके सम्बन्ध में चोरी की हुई होने का सन्देह हो। |
| 129 | उपनिरीक्षक व उससे उच्च समस्त अधिकारियों को पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने की शक्ति। |
| 130 | ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग। |
| 131 | जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारियों की शक्ति। |
| 132 | धारा 129, 130, 131 के अधीन सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से संरक्षण। |
| 149 | प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा। |
| 150 | संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की सूचना। |
| 151 | उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार। |

| | |
|-----|--|
| 152 | लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार। |
| 153 | खोटे बॉट मापों का निरीक्षण/ अधिग्रहण। |
| 154 | संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है। |
| 155 | असंज्ञेय मामलों में थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला का सार संबंधित पुस्तिका में प्रविष्टि करायेगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दिष्ट करेगा। |
| 156 | संज्ञेय मामलों अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। |
| 160 | अन्वेषण के अनतर्गत साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। |
| 161 | पुलिस द्वारा साक्षियों का परीक्षण किये जाने की शक्ति। |
| 165 | अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रायोजन के लिए आवश्यक हो। तलाशी एवं जफती के कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा। |
| 166 | अन्वेषणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तलाशी करवा सकता है। |
| 167 | जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की शक्ति। |
| 169 | साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना। |
| 170 | जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना। |
| 172 | अन्वेषण में की गयी कार्यवाहियों को केस डायरी में लेखबद्ध किया जाना। |
| 173 | अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना। |
| 174 | आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना। |
| 175 | धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रायोजन से व्यक्तियों को शमन करने की शक्ति। |
| 176 | पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी। |

2.4 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मानव अधिकार संरक्षण संबंधी निर्देश

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के वाद के निर्णय में गिरफ्तारी या निरुद्धीकरण के प्रकरणों में पुलिस जनों के निम्नलिखित दायित्व अवधारित किये गये हैं।

1. गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारकर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पट्टिका धारण की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाये।
2. गिरफ्तारी की फर्द गिरफ्तारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के सभ्रान्त व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होंगे व एक प्रति उसे निः शुल्क दी जायेगी।
3. पुलिस अभिरक्षा में उसे अपने रिश्तेदार या मित्र से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके निकट संबंधी को दी जायेगी।
4. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के रिश्तेदार को निरुद्ध रखने के स्थान के बारे में बताया जायेगा।
5. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफ्तारी के संबंध में सूचित करने वह अधिकृत है।
6. गिरफ्तारी की सूचना को थाने के गिरफ्तारी रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा।
7. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।

8. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रशिक्षित डाक्टर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
9. गिरफ्तारी के सभी अभिलेखों की प्रतियां क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जाएंगी।
10. जांच काल में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
11. गिरफ्तारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।

2.5 अपर पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य एवं दायित्व

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के परिपत्र संख्या 35/2005 दिनांक 9 जुलाई, के द्वारा जनपद नियुक्ति के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियों और दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

2.5.1 कर्तव्य

2.5.1.1 संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही संबंधी:-

1. संगठित अपराधियों तथा भाड़े पर हत्या, फिरौती हेतु अपहरण,रोल्ड होल्डअप, बैंक डकैती, आटोलिफ्टर, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, हवाला व्यापार करने वाले, नक्सलवादी गैंग एवं राष्ट्र विरोधी तत्व, माफिया आदि को चिन्हित कर उनकी गैंगवार सूची तैयार करना एवं तत्संबंधी सभी सूचनायें एकत्र कर उन्हें पंजीकृत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना।
2. पंजीकृत अपराधियों का डोजियर तैयार करना।
3. संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्ययोजना तैयार करके जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
4. संगठित अपराधियों की गिरफ्तारी होने पर विस्तृत पूछ-ताछ आख्या तैयार करना।

2.5.1.2 सक्रिय एवं वांछित अपराधी संबंधी :-

1. सक्रिय एवं वांछित अपराधियों की सूची तैयार करना, हिस्ट्रीशीट खुलवाना, गिरफ्तारी हेतु कार्ययोजना बनाकर दबिश दिलवाना।
2. फ़ाड अपराधियों के विरुद्ध पुरस्कार घोषित करवाना।

2.5.1.3 अपराधिक अभिसूचना का एकत्रीकरण :-

1. पेशेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रिकरण हेतु स्रोत बनाना।
2. जेल में बन्द पेशेवर अपराधियों की जानकारी करना।
3. जेल से छूटने वाले पेशेवर अपराधियों की निगरानी।
4. अन्य माध्यमों से अपराधिक अभिसूचना एकत्रीकरण।

2.5.1.4 विशेष अपराधों के संबंध में :-

1. समस्त विशेष अपराधों के घटना स्थल का निरीक्षण।
2. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।
3. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एस0आर0 केस, राजनीतिक हत्या, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार के साथ हत्या, ऐसी हत्या जो सामान्य कानून को प्रभावित करती हो, डकैती, फिरौती, अपहरण, हत्या सहित लूट, सनसनीखेज लूट, पुलिस अभिरक्षा से पलायन, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, गैस्टर एक्ट के केसों को छोड़कर शेष समस्त एस0आर0 केस की कमागत आख्या का अनुमोदन (प्रथम व अन्तिम को छोड़कर) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

य-क्षेत्र के थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

र-फिक्स पिकेट एवं गश्त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था करना।

ल-क्षेत्र के समस्त थानों का दो माह में एक बार अर्दली रूम करना।

2.5.1.5 अभियोजन

न्यायालय में लंबितवादों की प्रभावी पैरवी, पैरोकार/कोर्ट मोहर्नर की मासिक बैठक तथा सेशन ट्रायल अभियोगों में विमुक्ति आख्या का विश्लेषण करना।

2.5.2 अपर पुलिस अधीक्षकों के अधिकार

2.5.2.1 स्थानान्तरण संबंधी -

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एक-252-84 दिनांक: 08.01.1985 के प्रस्तर 5 के बिन्दु सं0 4 में निहित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही स्थानान्तरण के संबंध में की जायेगी।

2.5.2.2 वार्षिक मन्तव्य—

शासनादेश संख्या: 1460/छ:-पु-1-99-51/99 के अनुसार वार्षिक मन्तव्य का अंकन करना।

2.5.2.3. दण्ड सम्बन्धी—

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रचलित नियमावली के अनुरूप अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच करायी जा सकती है परन्तु जांच आख्याओं पर दण्ड पत्रावली खुलवाने का अधिकार जनपदीय पुलिस अधीक्षक का ही होगा।

2.6 संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य विविध अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ तथा उनसे अपेक्षित कर्तव्य:—

संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय-समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस बल को दिशा-निर्देश न प्राप्त होते रहते हैं जिनके आधार पर पुलिस बल से अपेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

3. निर्णय लेने की प्रक्रिया की कार्यविधि के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर

3.1 अनुसंधान/विवेचना

| क्र० सं० | कार्यवाही | कार्य स्तर | अवधि |
|----------|---|--|--------------------|
| 1 | प्र०सू०रि० का पंजीकरण | 154 द०प्र०सं० के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को नि:-शुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है। | अविलम्ब |
| 2 | साक्षियों का परीक्षण | 161 द०प्र०सं० के अनुसार | यथाशीघ्र |
| 3 | अन्वेषण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण | द०प्र०सं० के अनुसार | यथाशीघ्र |
| 4 | पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण | विशेष अपराधों की स्थिति में संबंधित क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है। | यथाशीघ्र |
| 5 | साक्ष्य का संकलन | द०प्र०सं० के अनुसार | कार्यवाही यथाशीघ्र |
| 6 | नक्शा नजरी तैयार करना | द०प्र०सं० के अनुसार | निरीक्षण के समय |
| 7 | अभियुक्तों की गिरफ्तारी | द०प्र०सं० के अनुसार | .. |
| 8 | संस्वीकृति का लिखा जाना | .. | .. |
| 9 | पुलिस/ न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना | .. | .. |
| 10 | तलाशी | .. | .. |
| 11 | निरुद्धि | .. | .. |
| 12 | अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना | .. | .. |
| 13 | आरोप पत्र का दाखिल करना | .. | .. |

3.2 नियन्त्रण कक्ष

जनपद के नियन्त्रण कक्ष कमाण्ड और कन्ट्रोल संघटक के रूप में जनपद के तंत्रिका तन्त्र की तरह कार्य करता है जो कानून व्यवस्था, अपराध, यातायात समस्या व अन्य संगत समस्याओं की सूचना प्राप्त करता है तथा स्थानीय पुलिस को उस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश देता है। बाढ़ व अन्य दैवीय अपदाओं के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करता है। जनपद में वर्तमान में निम्नलिखित नियन्त्रण कक्ष स्थापित हैं।

| क्र० सं | नियंत्रण कक्ष | टेलीफोन नं० | कार्य |
|---------|-------------------------|-------------------|--|
| 1 | जिला नियन्त्रण कक्ष | 233232, 236400 | जनपद के संबंध में सूचनाओं को प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही हेतु संबंधित को तत्काल अवगत कराया जाता है। |
| 2 | नगर नियन्त्रण कक्ष | 112 | नगर नियन्त्रण कक्ष में कोबरा मोबाइल, सिटी मोबाइल नगर क्षेत्र में नियोजित है जो किसी सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करते हैं |
| 4 | फायर नियन्त्रण कक्ष | 101 | फायर नियंत्रण कक्ष में फायर सर्विस की गाड़िया उपलब्ध रहती है। पूरी एक टीम प्रत्येक समय टर्न आउट की स्थिति में रहती है जो किसी भी आग लगने की सूचना पर 05 मिनट के अन्दर पर अपने गनतव्य को रवाना होती है। |
| 5 | दुर्घटना नियन्त्रण कक्ष | 112 | यातायात नियंत्रण कक्ष पर प्राप्त कोई भी सूचना पर संबंधित थाने/चौकी की पुलिस को तत्काल मौके पर पहुंचने हेतु सूचित किया जाता है। जनपद को प्राप्त एक एम्बुलेन्स जो कि पुलिस लाइन्स पर मौजूद रहती है को तत्काल राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई दुर्घटनाओं के मौके पर रवाना किया जाता है। भारी क्षमता की एक क्रेन जनपद में पुलिस लाइन में उपलब्ध नहीं है जो किसी भी दुर्घटना स्थल पर वाहनों को व अन्य सामान को हटाने हेतु आवश्यकतानुसार तत्काल स्थानीय बाजार से पहुंचायी जाती है। |

इन नियन्त्रण कक्षों पर 24 घन्टे कन्ट्रोल रूम आपरेटर की नियुक्ति रहती है। इन पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लागबुक में लॉग किया जाता है तथा संबंधित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है। वर्षाकाल में बाढ़ निन्त्रण कक्ष की भी स्थापना आवश्यकतानुसार की जाती है।

3.3 शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया

3.3.1 थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

| क्र० सं | कार्य | किसके द्वारा कार्यवाही होगी | कार्यवाही की समयावधि |
|---------|---|---|----------------------|
| 1 | थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करना | थानाध्यक्ष / दिवसाधिकारी / उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा | तत्काल |
| 2 | प्रार्थना पत्र प्रस्तुत वाले का नाम आगन्तुक रजिस्टर में अंकित करना | दिवसाधिकारी / उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा | अविलंब |
| 3 | प्रार्थना पत्र को जनशिकायत रजिस्टर में अंकित करना | उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा | अविलंब |
| 4 | जांच अधिकारी नियुक्त करना व जाँच हेतु सौंपना | थाना प्रभारी द्वारा | 1 दिवस |
| 5 | जांच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना | जांच अधिकारी द्वारा | 5 दिवस में |
| 6 | थानाध्यक्ष द्वारा जाँच की समीक्षा करना | थानाध्यक्ष द्वारा | 1 दिवस |

| | | | |
|---|--|------------------------------|------------|
| 7 | जाँच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही ,यदि आवश्यक हो, कराना। | थानाध्यक्ष द्वारा | अविलंब |
| 8 | जाँच रिपोर्ट का रखरखाव | सम्बन्धित कां० क्लर्क द्वारा | 01 वर्ष तक |

3.3.2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

| क्र० सं० | कार्य | किसके द्वारा कार्यवाही होगी | कार्यवाही की समयावधि |
|----------|--|---|----------------------|
| 1 | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय की शिकायत प्रकोष्ठ में उसकी प्राप्ति स्वीकार करना | शिकायत प्रकोष्ठ के कर्मचारी द्वारा | अविलम्ब |
| 2 | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना | निमित्त राजपत्रित अधिकारी (क्षेत्राधिकारी मुख्यालय) द्वारा | 1 दिवस |
| 3 | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना | निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा | 1 दिवस |
| 3 | प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना | सम्बन्धित लिपिक द्वारा | अविलम्ब |
| 4 | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जांच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जाँच हेतु भेजना | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा | 2 दिवस |
| 5 | क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० क्लर्क द्वारा आर्डर बुक करना | क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कां० क्लर्क द्वारा | अविलम्ब |
| 6 | सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जांच करना या सम्बन्धित उपनिरीक्षक/बीट आरक्षी को जाँच हेतु भेजना | थानाध्यक्ष द्वारा | 2 दिवस |
| 7 | जांच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना | जांच अधिकारी द्वारा | 8 दिवस में |
| 8 | थानाध्यक्ष द्वारा जाँच रिपोर्ट की समीक्षा करके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करना | थानाध्यक्ष द्वारा | अविलम्ब |
| 9 | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच सही पाये जाने पर जाँच रिपोर्ट को दाखिल दफ्तर किया जाना | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा | अविलम्ब |
| 10 | जाँच रिपोर्ट का रखरखाव | शिकायत प्रकोष्ठ के कर्मचारी द्वारा | 02 वर्ष तक |

3.3.3 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शासन, आयोगों व अन्य उच्च अधिकारीगणों के स्तर से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया :-

| क्र० सं० | कार्य | किसके द्वारा कार्यवाही होगी | कार्यवाही की समयावधि |
|----------|--|--|----------------------|
| 1 | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन करके संबंधित अपर पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी या थानाध्यक्ष को जाँच हेतु आदेशित करना | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा | 1 दिवस |
| 2 | प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व संबंधित को जांच हेतु प्रेषित करना | सम्बन्धित लिपिक द्वारा | अविलम्ब |
| 4 | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर स्वयं जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना | सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी / थानाध्यक्ष द्वारा | 07 दिवस में |

| | | | |
|----|---|---|------------|
| 5 | क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां0 क्लर्क द्वारा आर्डर बुक करना | क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां0 क्लर्क द्वारा | अविलम्ब |
| 6 | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर संबंधित को रिपोर्ट प्रेषित करना | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा | 2 दिवस |
| 10 | जाँच रिपोर्ट का रखरखाव | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय के कां0 क्लर्क द्वारा | 02 वर्ष तक |

3.3.4 थाना पंचायत दिवस में थाना स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

(उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या : 2021 पी/छ:-पु-3/2005 , दिनांक 21 -06-2005 गृह (पुलिस)

अनुभाग - 3 के अनुसार थाना पंचायत दिवस में प्राप्त जनसमस्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया)

जन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासन द्वारा यह अनुभव किया जा रहा है कि अधिकारियों से मिलने के समय केवल पीड़ित पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, परन्तु उसकी समस्या का समाधान तब तक सम्भव नहीं हो सकता है जब तक कि दोनों पक्षों को एक साथ बुलाकर उनका पक्ष जानकर साम, दण्ड, भेद की नीति के पंचायती तरीके से सुलझाने का प्रयास न किया जाय। इसके लिये थाना सर्वाधिक उपयुक्त स्थल हो सकता है, क्योंकि अधिकांश समस्यायें भूमि विवाद, सरकश व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा तथा जोर जबरदस्ती से सम्बन्धित होती हैं।

1. थाना स्तर पर उभय पक्ष तथा राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में पक्षकारों की एक साथ सुनवाई कर पंचायती तरीके से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निदान सम्भव हो सकता है।

2. थाना स्तर पर जन सामान्य के प्रति संवेदनशीलता का अभाव होने और लोगों के मन में थाना जाने के प्रति भय की भावना विद्यमान होने के कारण यह आवश्यक है कि इस प्रकार की कार्यवाही के दिन प्रत्येक थाने पर एक राजपत्रित अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर थानाध्यक्ष व पुलिस के विरुद्ध भी यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उक्त अधिकारी उसका संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक/जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं, इससे लोगों का थाने पर जाने में संकोच हटेगा तथा उनमें थाना जाने के प्रति व्याप्त भय की भावना भी समाप्त होगी और थाने में प्रभुत्व एवं अधिकारिता के माहौल में पंचायती ढंग से समस्याओं को निपटाने का प्रयास अपेक्षाकृत अधिक परिणामदायक हो सकता है।

3. इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु थाना पंचायत दिवस का आयोजन कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस सम्बन्ध में निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जाय :-

(क) प्रत्येक शनिवार को थाना पंचायत दिवस का आयोजन प्रातः 10 बजे से किया जाय और उस दिन समस्त राजस्व एवं पुलिसकर्मि थाने पर उपस्थित रहेंगे।

(ख) थाना पंचायत दिवस के अवसर पर उपस्थित होकर नेतृत्व प्रदान करने हेतु राजस्व एवं पुलिस विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों का एक रोस्टर बनाया जाय जो प्रत्येक त्रैमास बदला जाया करेगा।

(ग) थाना पंचायत दिवस के अवसर पर प्राप्त शिकायतों में उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित कराकर राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में उनका पक्ष जानकर आपसी सहमति से समस्या का निराकरण किया जायेगा। ऐसे निस्तारित प्रत्येक मामले का इन्द्राज जी0डी0 में किया जायेगा, ताकि भविष्य में इसी सम्बन्ध में पुनः शिकायत का अवसर उत्पन्न होने पर उक्त इन्द्राज के आधार पर वैधानिक कार्यवाही करना सम्भव हो सके।

(घ) जिन मामलों में मौका मुवायना की आवश्यकता हो, उसमें 12.00 बजे के बाद पुलिस व राजस्व कर्मियों की टीमें गठित कर मौके पर भेजी जायेगी। महत्वपूर्ण प्रकरणों में थानाध्यक्ष, तहसीलदार, उप जिला मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी की टीमें मौके पर जायेंगी और मौका निरीक्षण कर उभयपक्ष की आपसी सहमति से समस्या का निराकरण करेंगे।

(ङ) थाना पंचायत दिवस में प्रधानों की भी उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाये। इससे समस्याओं के निराकरण में सुविधा रहेगी।

(च) थाना पंचायत दिवस का पूरा लाभ जनसामान्य को मिल सके, इसके लिये सभी सम्भव उपायों द्वारा इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय।

(छ) इस सम्बन्ध में प्रगति समीक्षा जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्त के स्तर पर की जायेगी। उनके द्वारा शासन को भी प्रति माह अवगत कराया जायेगा।

3.3.5 फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों की प्रक्रिया

| क्र० सं० | प्रतिष्ठान | पत्र /आदेश प्राप्ति का स्थान | निरीक्षण (द्वारा) | समयावधि |
|----------|------------------------------------|--|--------------------------|---------|
| 1 | पेट्रोल / डीजल पम्प | जिलाधिकारी कार्यालय से | अग्निशमन अधिकारी | 15 दिवस |
| 2 | पेटी / डीलर (फुटकर डीजल / पेट्रोल) | जिलाधिकारी जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय से | प्रभारी अग्निशमन अधिकारी | उपरोक्त |
| 3 | गैस एजेन्सी | उपरोक्त | उपरोक्त | उपरोक्त |
| 4 | विस्फोटक पदार्थ | जिलाधिकारी कार्यालय से | उपरोक्त | उपरोक्त |
| 5 | सिनेमा हाल | जिलाधिकारी / मनोरंजनकर अधिकारी कार्यालय | उपरोक्त | उपरोक्त |
| 6 | होटल / लाज / रेस्टोरेन्ट धर्मशाला | जिलाधिकारी / पर्यटन अधिकारी कार्यालय से | उपरोक्त | उपरोक्त |
| 7 | व्यावसायिक भवन | कार्यालय विकास प्राधिकरण / आवास विकास निगम | उपरोक्त | उपरोक्त |
| 8 | फैक्ट्री | कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र | उपरोक्त | उपरोक्त |

3.3.6 जनपद एटा में यातायात नियमन

3.3.6.1 एटा नगर क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश व संचालन के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक एटा का आदेश

(अ) भारी व्यवसायिक वाहन

- समस्त भारी वाहन जो कानपुर की तरफ से आकर जीटी रोड, आगरा रोड, शिकोहाबाद रोड अथवा बरेली व बदायूँ को जाना चाहते हैं, जीटी रोड से होकर जाते हैं। इसी प्रकार यही व्यवस्था अलीगंज / सिढपुरा से आकर अपने गंतव्य को जाने वाले भारी वाहनों पर भी लागू होगी।
- इस प्रकार नगर क्षेत्र में भारी वाहन रोडवेज चौराहा तथा कोतवाली नगर चौराहा से ही प्रवेश पा सकेंगे।
- भारी वाहनो का जीटी रोड से प्रवेश कर रोडवेज होते हुए गन्तव्य स्थान को जायेगें, शहर में कोई वाहन कही भी रुकेगा नहीं।
- गौधी मार्केट से शहर क्षेत्र में भारी वाहनो का प्रवेश प्रतिवधित है।
- भारी व्यवसायिक वाहन, जो रेलवे रोड स्थित गोदामो में अपना माल ले जाना चाहते हैं, वे वाहन रेलवे रोड हनुमानगढी मार्ग से प्रवेश पा सकेंगे। तथा अनलोडिंग के उपरांत उसी रास्ते से होते हुये गन्तव्य को होकर निकल सकेंगे।
- रोडवेज से श्री रामदरवार बीच ट्रान्सपोर्टर हैं जो अपने भारी वाहनों को जीटी रोड से होकर अलीगंज चौराहे से गन्तव्य को जायेगें।

(ब) यात्री वाहन

पट्ट परिवहन निगम की बसों के संबन्ध में

- परिवहन निगम की यात्री बसें बस स्टैण्ड गन्तव्य को जा सकेंगीं।
- इसी प्रकार बरेली एवं बदायूँ से आने वाली परिवहन निगम की बसों को बस स्टैण्ड से होते हुए गन्तव्य को जाने की व्यवस्था की गयी है,।

3. रोडवेज बस स्टैण्ड के सामने सड़क पर परिवहन निगम की बसों की पार्किंग प्रतिबंधित की जाती है। यह बसे अपनी पार्किंग रोडवेज परिसर में कर सकेंगी।

4. परिवहन निगम की यात्री बसों का गॉन्धी मार्केट एवं रेलवे रोड से प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है।

पपट्ट टैक्सी के संबन्ध में-

1. शहर क्षेत्र में नगर पालिका का टैक्सी स्टैण्ड एवं प्राइवेट बस स्टैण्ड रामलीला मैदार में स्थापित है, इस स्टैण्ड से सकीट, शिकोहाबाद, औछा, मैनपुरी अलीगंज आदि स्थानों के लिए जाने की व्यवस्था की गयी है, बाजार में इनका प्रवेश वर्जित है।

2. इसी प्रकार कासंगज की ओर चलने वाली टैक्सियों हेतु रोडवेज बस स्टैण्ड के समीप दुर्गा मन्दिर के पास निर्धारित है इस स्टैण्ड से संचालित होने वाले वाहनों का रोडवेज बस स्टैण्ड की तरफ आना प्रतिबंधित किया जाता है।

(अ) अन्य एकल मार्ग :-

चौक घन्टा घर नगर का केन्द्र बिन्दु है, जिसमें चारो तरफ से आवागमन होता रहता है। यातायात दबाव को कम करने के उद्देश्य से निम्न प्रकार एकल मार्ग व्यवस्था की जाती है:-

1. जो दो पहिया वाहन मेहतापार्क से घण्टाघर चौक जीटी रोड की तरफ जा रहे हों, उनको सब्जी मण्डी में रोक दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

समस्त चार पहिया वाहनों का घण्टाघर क्षेत्र में जाना प्रतिबंधित किया गया है।

2. चौक के उस समस्त क्षेत्र में चार पहिया वाहन प्रतिबंधित किया गया है, ठेलो का सामान आदि की विक्री हेतु अथवा किसी अन्य प्रयोजन से, प्रतिबंधित किया जाता है। चार पहिया ठेले उक्त क्षेत्र में गतिशील अथवा स्थापित नहीं हो सकेंगे।

3. चौक घन्टा घर से जीटी के किनारे रिक्शों का खड़ा रहना प्रतिबंधित किया गया है, लगने वाली सब्जी मण्डियों के स्थानान्तरण के उपरांत रिक्त स्थान को खाली रखकर सब्जी मण्डी के लिए ही चिन्हित कर दिया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी है।

3.3.6.2 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व जुर्माना

| क्र.सं. | अपराध का विवरण | धारा | अधिकतम जुर्माना व सजा |
|---------|--|-----------|--|
| 1 | मोटर चालक द्वारा बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना | 3 / 181 | 2500-5000 |
| 2 | किसी अवयस्क द्वारा मोटर गाड़ी चलाना या उससे चलवाना | 4 / 181 | 2500-5000 व 3 माह का कारावास व दोनों |
| 3 | बिना लाइसेंस गाड़ी चलवाना | 5 / 181 | 2500 व 3 माह कारावास या दोनों |
| 4 | बिना पंजीकरण गाड़ी को चलाना | 39 / 192 | 5000-10000 जुर्माना या 6 माह का कारावास या दोनों |
| 5 | बिना फिटनेस कराये गाड़ी चलाना | 56 / 192 | 5000-10000 या 6 माह का कारावास या दोनों |
| 6 | परमिट के नियमों का उल्लंघन करना या बिना परमिट गाड़ी चलाना | 66 / 192 | 2000-4000 या 6 माह कारावास या दोनों |
| 7 | गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाना | 112 / 183 | 2000-4000/- |
| 9 | एक दिशा मार्गों के नियमों का उल्लंघन करना | 115 / 194 | 5000/-, 2000 प्रत्येक टन के लिए अतिरिक्त |
| 10 | वैधानिक प्रतिबंधों का उल्लंघन करना या यातायात नियमों का उल्लंघन करना | 115 / 194 | 5000/- |
| 11 | शांति क्षेत्र में अज्ञाओं का उल्लंघन करना (वर्जित क्षेत्र) | 115 / 194 | 2500/- |
| 12 | प्रतिबंधित क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करना | 115 / 194 | 5000/- |
| 13 | बिना किसी संकेत के स्टेयरिंग का बायी तरफ होना | 120 / 177 | 300-500/- |

| | | | |
|----|---|-----------|--------------------------------------|
| 14 | यातायात चिन्हों का पालन न करना | 119 / 177 | 300-500/- |
| 15 | बिना संकेत के गाड़ी चलाना | 121 / 177 | 300-500/- |
| 16 | खतरनाक दशा में गाड़ी खड़ी करना जिससे यातायात बाधित हो | 122 / 177 | 300-500/- |
| 17 | गाड़ी की छत बोनट पायदान पर बैठकर यात्रा करना या ले जाना | 123 / 177 | 300-500/- |
| 18 | बिना टिकट यात्री वाहन में यात्रा करना | 124 / 178 | 500/- |
| 19 | किसी दुपहिया वाहन पर दो सवारी से अधिक बैठाना | 128 / 177 | 300-500/- |
| 20 | बिना हेल्मेट के दुपहिया वाहन चलाना | 129 / 177 | 500-1000/- |
| 21 | किसी टैक्सी या तिपहिया टैम्पो द्वारा सवारी ले जाने से इन्कार करना | 178(3) | 50/- |
| 22 | पुलिस अधिकारी द्वारा गाड़ी रोकने पर | 132 / 179 | 1000/- |
| 23 | दोषपूर्ण नम्बर प्लेट का वाहन में लगा होना | 16 / 177 | 300-500/- |
| 24 | अधिक धुआँ वाहन से निकलना | 190(2) | 2500-5000/- |
| 25 | बिना इन्श्योरेंस के वाहन चलाना | 146 / 196 | 2000 व 3 माह का कारावास या दोनों |
| 26 | पुलिस द्वारा दिये गये संकेतों का उल्लंघन | 119 / 177 | 300-500/- |
| 27 | बांये से गाड़ी को ओवरटेक करना | 110 / 177 | 300-500/- |
| 28 | वेतहाशा खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना | 184 / 202 | 2500/- व 2 वर्ष कारावास या दोनों |
| 29 | शराब या अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन करके | 185 / 202 | 1000-2000 2 वर्ष का कारावास या दोनों |
| 30 | मालिक की बिना अनुमति के गाड़ी ले जाना अथवा चलाना | 197 / 202 | 1000-2000 2 वर्ष का कारावास या दोनों |
| 31 | चालक द्वारा अपने दाहिने बैठाकर वाहन चलाना | 125 / 177 | 300-500/- |

उपरोक्त धाराओं में किसी भी वाहन के अभिलेखों को चेक करने तथा संगत अपराध के अनुसार चालान करने की शक्ति जनपद के हे0कां0 (प्रोन्नति वेतनमान) एवं उसके ऊपर के समस्त अधिकारियों में निहित है। अधिनियम के अन्तर्गत उक्त धाराओं के उल्लंघन पर मौके पर ही संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है। तीन प्रतियों में चालान की प्रविष्टियां की जाती है जो कि तीन विभिन्न रंगों की होती है। लाल रंग की प्रति को न्यायालय/क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है, पीले रंग की प्रति को वाहन चालक को दिया जाता है तथा सफेद प्रति को कार्यालय में रिकार्ड के रूप में रखा जाता है। जनपद में उक्त अधिनियमों में समायोजन संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा 15 दिवस तक किया जाता है। 15 दिवस के अन्दर यदि वाहन चालक समायोजन कराने हेतु उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित प्रपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय भेज दिये जाते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या परमिट आदि के बिना उपयोग किये गये वाहनों को निरूद्ध किया जाता है जिनका समायोजन केवल संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है।

3.3.7 स्थानीय अभिसूचना ईकाई द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया

3.3.7.1 एफ0आर0ओ0 (विदेशी पंजीकरण अधिकारी) के संबंध में

जनपद के प्रभारी पुलिस अधीक्षक एफ0आर0ओ0 होते हैं जिनके पाक/ बंगलादेश व विदेशी नागरिकों के संबंध में अलग-अलग कर्तव्य है।

(अ) विदेशी शाखा/विदेशी नागरिको के संबंध में :-

पाकिस्तान व बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों के नागरिक विदेशी कहलाते हैं विदेशी नागरिकों के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विदेशी पंजीकरण अधिकारी के हैसियत से कार्य करते हैं। जनपद में विदेशी नागरिक 02 प्रकार के बीजा अवधि पर आते हैं। एक तो 180 दिन के कम के बीजा पर दूसरे 180 दिन के अवधि के अधिक के बीजा पर विदेशी जो आते हैं उनका पंजीकरण निम्न प्रकार होता है।

(1) 180 दिन से कम का बीजा लेकर जनपद में आये विदेशियों का पंजीकरण नहीं होता है केवल सूचना विदेशियों द्वारा या जिनके यहां ठहरे हैं के द्वारा दी जाती है।

(2) 180 दिन से अधिक के बीजा अवधि पर आये विदेशियों का 14 दिवस के अन्दर पंजीकरण होता है जिसकी सूचना गृह मंत्रालय नई दिल्ली व पुलिस अधीक्षक(एफ0) वि0शा0 अभि0 वि0 उ0प्र0 को प्रेषित की जाती है।

विदेशियों के निवास वृद्धि का अधिकार भी एफ.आर.ओ. में निहित होता है।

(ब) पाकिस्तानी/बांग्लादेशी नागरिको के संबंध में :-

पाक/बांग्लादेशी नागरिकों के मामले में एफ0आर0ओ0 सिविल अथॉरिटी के हैसियत से कार्य करते हैं। जनपद में आये हुए पाक नागरिकों का पंजीकरण करके ठहरे हुए अवधि में उनके निगरानी कराते हुए समय से पाक रवाना करने की जिम्मेदारी भी सिविल अथॉरिटी/एस0एस0पी0 की होती है।

पाक/बी0डी0 नागरिकों की वीजा वृद्धि करने के संबंध में सभी अधिकार शासन को प्रदत्त हैं। सिविल अथॉरिटी द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित करने पर एल0टी0वी0 पर रह रहे पाक नागरिकों को इक्सटेन्सन शासन स्तर पर प्राप्त होता है वर्तमान में एस0टी0वी0 पर (180 दिन से कम) आये हुए पाक नागरिकों की वीजा वृद्धि पर शासन द्वारा रोक लगायी गयी है।

पाक/विदेशी मामलों से संबंधित कार्यवाही एल0आई0यू0 कार्यालय में स्थिति पाक/विदेशी शाखा से सम्पादित की जाती है जिसमें प्रभारी तौर पर एक उ0नि0 की नियुक्ति होती है।

3.3.7.2 पासपोर्ट

(अ) कार्यावाही का चरण :- पासपोर्ट आवेदन करने वाले व्यक्ति अपना आवेदन पत्रों को निम्नस्थानों पर जमा कर सकते हैं।

1. क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय बरेली।
2. कार्यालय जिलाधिकारी एटा।

जमा आवेदन पत्रों को संबंधित जनपद के पुलिस प्रमुख को प्रेषित किया जाता है। आवेदन पत्र प्राप्त के पश्चात संबंधित जनपद के पुलिस अधिकारियों (उ0नि0 व हे0कां0(प्र0)) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के एक प्रति जिसमें आवेदन करने वाले व्यक्ति के वैयक्तिक विवरण अंकित होते हैं की जांच की जाती है तथा वैयक्तिक विवरण पत्र के दूसरे प्रति को आतंकवादी व अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्तताके विषय में जानकारी करने हेतु अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ प्रेषित किया जाता है। अभि0 मुख्यालय से प्राप्त जांच आख्या तथा जनपद के थानों व एल0आई0यू0 से प्राप्त जांच आख्या के आधार पर एक अलग आख्या बनाकर नोडल अधिकारी (जी0ओ0) के हस्ताक्षर द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली या जिलाधिकारी कार्यालय प्रेषित किया जाता है।

पासपोर्ट कार्यालय द्वारा प्राप्त जांच आख्या के आधार पर वरीयतानुसार पासपोर्ट जारी किये जाते हैं जो डाकखाना के माध्यम से आवेदन को प्राप्त कराये जाते हैं।

(ब) कार्यवाही किसके द्वारा अपेक्षित :- आवेदन पत्र जमा होने के पश्चात निम्न स्तर पर कार्यवाही होती है।

(1) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी /जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा संबंधित जनपदों के पुलिस प्रभारियों को वैयक्तिक विवरण पत्र जांच हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।

(2) जनपद पुलिस/लए0आई0यू0/अभिसूचना मुख्यालय द्वारा जांच की जाती है।

(3) जांच आख्या नोडल अधिकारी (जी0ओ0)के हस्ताक्षर से पासपोर्ट कार्यालय प्रेषित की जाती है

(स) कार्यवाही की अवधि:-

जनपद में प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों की पुलिस/अभिसूचना जांच रिपोर्ट 20 दिन के अन्दर पासपोर्ट कार्यालय को प्रेषित किया जाने का निर्देश है। इसके पश्चात् पासपोर्ट कार्यालय द्वारा वरीयता के आधार पर पासपोर्ट जारी किये जाने का प्राविधान है।

3.3.8 सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने से संबंधित प्रक्रिया

शासनादेश संख्या 1773/छ-पु-2-2001-700(1)/2001 दिनांक 25.04.01 के अनुसार गनर/शैडो की अनुमन्यता हेतु जीवन भय का सही आकलन करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक (अभिसूचना) स्थानीय अभिसूचना ईकाई सदस्य होते हैं।

जिन व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक हो, जनपदीय समिति द्वारा उनके जीवन भय का आकलन कर स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था निम्नलिखित मानको के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है।

3.3.7.1 सुरक्षा व्यवस्था संबंधी मानक

| श्रेणी | सुरक्षा का स्तर | व्ययभार का प्रतिशत |
|--|---|-----------------------------------|
| सांसद/विधायक | (क) एक सुरक्षा कर्मी (ख) औचित्य पाये जाने पर एक अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी सादे वस्त्रों में | (क) निःशुल्क (ख) 25 प्रतिशत पर |
| निवर्तमान सांसद / विधायक | औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी | 10 प्रतिशत पर |
| प्रदेश स्तरीय शासकीय निगमों के अध्यक्ष/ जिलापंचायत अध्यक्ष नगर प्रमुख/कुलपति | औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी | 10 प्रतिशत पर |
| प्रदेश स्तर पर पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष | औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी | 10 प्रतिशत पर |
| अन्य किसी व्यक्ति को आवश्यकतानुसार जनपदीय समिति की संस्तुति पर | औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी | 10 प्रतिशत पर |
| जघन्य अपराध होने पर पैरवी करने वाला / गवाह | औचित्य पाये जाने पर सुरक्षा कर्मी की सामान्य व्यवस्था | समिति के निर्णय के अनुसार |

शासनादेश सं0-2301 /6-पु0-2-2004-700(1)-2001 दिनांक 18.06.04 द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों को पदेन एक गनर निःशुल्क देने का प्राविधान है। किसी महानुभाव द्वारा सुरक्षा हेतु आवेदन पत्र देने पर जनपदीय द्वारा उसके जीवन भय का आकलन किया जायेगा जनपदीय समिति की संस्तुति पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक माह के लिये सुरक्षा कर्मी स्वीकृत किया जा सकता है जिसे आवश्यकता पड़ने पर एक एक माह दो बार यानी कुल 3 माह तक बढ़ायी जा सकती है। इससे अधिक अवधि के लिये सुरक्षा की आवश्यकता होने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से जनपदीय समिति की संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी जिस पर विचारोपरान्त शासन द्वारा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जायेगा।

जनपद स्तर पर प्रदत्त सुरक्षा व्यवस्था (मान0 सांसद/विधायक/मा0मंत्री गण उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के मान0 न्यायमूर्ति एवं श्रेणी बद्ध संरक्षित महानुभावों को अनुमन्य सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर) की समीक्षा जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह की जाती है।

भुगतान पर सुरक्षा कर्मी देने से पूर्व कम से कम एक माह का व्यय भार अग्रिम जमा कराया जायेगा यदि उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व संरक्षित व्यक्ति द्वारा अग्रिम व्यय भार जमा नहीं कराया जाता है तो जमा करायी गयी धनराशि की अवधि समाप्त होते ही सुरक्षा कर्मी वापस ले लिया जाता है। 100 प्रतिशत निजी व्ययभार पर सुरक्षा कर्मी प्रदत्त करने पर रू0 29600/- प्रतिमाह, 25 प्रतिशत निजी व्यय पर 7400/- प्रतिमाह तथा 10 प्रतिशत पर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने पर रू0 2960/- प्रतिमाह धनराशि पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 इलाहाबाद के निर्देशानुसार पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में जमा करायी जाती है।

3.3.9 शस्त्र लाइसेन्स संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया

(वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा के परिपत्र संख्या 2/98 दिनांक 14.10.98 के अनुसार)

| क्र0 सं0 | कार्य | किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित | समय अवधि |
|----------|---|----------------------------------|----------|
| 1 | जिलाधिकारी कार्यालय से शस्त्र प्रार्थना पत्र की | अपर पुलिस अधीक्षक | कार्य |

| | | | |
|---|--|--|------------------------------------|
| | प्राप्ति | एटा/कासगंज | दिवस/कार्यालय अवधि में किसी भी समय |
| 2 | संबंधित थाने को अपराधिक इतिहास व आमशोहरत तथा सत्यापन हेतु भेजा जाना | संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा | 15 दिवस में |
| 3 | डीसीआरबी द्वारा जनपद में किये गये अपराध के संबंध में जांच किया जाना | प्रभारी डीसीआरबी | 03 दिवस में |
| 4 | संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच किया जाना | संबंधित क्षेत्राधिकारी | 06 दिवस में |
| 5 | अपर पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण द्वारा जांच किया जाना | अपर पुलिस अधीक्षक एटा/कासगंज | 06 दिवस में |
| 6 | जिलाधिकारी कार्यालय को लाइसेन्स प्रार्थना पत्र संस्तुति/असंस्तुति सहित भेजा जाना | संबंधित कां0 द्वारा | अविलम्ब |

शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये आवेदक संबंधित थाने में प्रार्थना पत्र देता है, थानाध्यक्ष की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

3.3.10 विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया

3.3.10.1 प्राइवेट वेरीफिकेशन

| क्रसं | कार्य | किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित | समय अवधि |
|-------|---|--|-------------------|
| 1 | आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना | प्रधानलिपिक द्वारा | कार्यालय अवधि में |
| 2 | चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रू0 शुल्क के रूप में लिया जाना | आंकिक कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा | अविलम्ब |
| 3 | चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना | कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा | 1 दिवस |
| 4 | संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना | संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा | 06 दिवस में |
| 5 | एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना | निरीक्षक एल0आई0यू0 द्वारा | 06 दिवस में |
| 6 | चरित्र सत्यापन निर्गत किया जाना | निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा | 01 दिवस में |

3.3.10.2.पुलिस वेरीफिकेशन

| क्र0सं0 | कार्य | किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित | समय अवधि |
|---------|--|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | पुलिस विभाग में चयनित पुलिस कर्मियों के सत्यापन पुलिस कर्मों के नियुक्ति स्थल से कर्मों के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना | प्रधानलिपिक द्वारा | कार्यालय अवधि में |
| 2 | चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना | कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा | अविलम्ब |
| 4 | संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना | संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा | 03 दिवस में |
| 5 | एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना | निरीक्षक एल0आई0यू0 द्वारा | 03 दिवस में |
| 6 | चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना | निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा | अविलम्ब |

3.3.10.3. सर्विस वेरीफिकेशन

| क्र०सं० | कार्य | किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित | समय अवधि |
|---------|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | सरकारी विभाग में चयनित सरकारी कर्मियों के सत्यापन सरकारी कर्मों के नियुक्ति स्थल से कर्मों के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना | प्रधानलिपिक द्वारा | कार्यालय अवधि में |
| 2 | चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना | कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा | अविलम्ब |
| 4 | संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना | संबंधित थानाध्यक्ष / उ०नि० द्वारा | 03 दिवस में |
| 5 | एल०आई०यू० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना | निरीक्षक एल०आई०यू० द्वारा | 03 दिवस में |
| 6 | चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना | निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा | अविलम्ब |

3.3.10.4. मिलीट्री सर्विस वेरीफिकेशन

| क्र०सं० | कार्य | किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित | समय अवधि |
|---------|---|-----------------------------------|-------------------|
| 1 | मिलीट्री विभाग में चयनित सैन्य कर्मियों के सत्यापन सैन्य कर्मों के नियुक्ति स्थल से कर्मों के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना | प्रधानलिपिक द्वारा | कार्यालय अवधि में |
| 2 | चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना | कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा | तत्काल |
| 4 | संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना | संबंधित थानाध्यक्ष / उ०नि० द्वारा | 03 दिवस में |
| 5 | एल०आई०यू० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना | निरीक्षक एल०आई०यू० द्वारा | 03 दिवस में |
| 6 | चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना | निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा | अविलम्ब |

3.3.10.5. ठेकेदारी वेरीफिकेशन

| क्र०सं० | कार्य | किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित | समय अवधि |
|---------|---|--|-------------------|
| 1 | जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय शपथ-पत्र के पुलिस कार्यालय में प्राप्त | प्रधानलिपिक द्वारा | कार्यालय अवधि में |
| 2 | चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रू० शुल्क के रूप में लिया जाना | आंकिक कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा | अविलम्ब |
| 4 | चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना | कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा | अविलम्ब |
| 5 | संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना | संबंधित थानाध्यक्ष / उ०नि० द्वारा | 07 दिवस में |

| | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------|
| 6 | संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा सत्यापन को संस्तुति/असंस्तुति करना | संबंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा | 07 दिवस में |
| 7 | एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना | निरीक्षक एल0आई0यू0 द्वारा | 07 दिवस में |
| 8 | चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना | निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा | अविलम्ब |

4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्ड

4.1 जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार की जांचों के लिए निर्धारित किये गये मापदण्ड

| क्र0सं0 | कार्य | कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड |
|---------|---|---|
| 1 | अनुसंधान/विवेचना | दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में |
| 2 | थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना | 07 दिवस |
| 3 | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना | 15 दिवस |
| 4 | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना | 12 दिवस |
| 5 | फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण | 15 दिवस |
| 6 | पासपोर्ट की जाँच | उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 616भा/छ: वीजा अनुभाग -4 -2005 - 17/2/ 64/99 दिनांक 21-10-2005 के अनुसार 20 दिवस में |
| 7 | शस्त्र लाइसेन्स की संस्तुति किया जाना | 30 दिवस |
| 8 | प्राइवेट वेरीफिकेशन | 14 दिवस |
| 9 | पुलिस वेरीफिकेशन | 06 दिवस |
| 10 | सर्विस वेरीफिकेशन | 06 दिवस |
| 11 | मिलीट्री सर्विस वेरीफिकेशन | 06 दिवस |
| 12 | टेकेदारी वेरीफिकेशन | 21 दिवस |

4.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्त

1. भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गये पूर्ण सम्मान करना।
2. बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।
3. पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
4. कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहां तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
5. पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
6. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
7. प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
8. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सदभाव हृदय में रखना।

9. प्रत्येक पुलिस जन विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।
10. हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
11. पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।
12. पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।
13. सर्वधर्म सम्भाव एवं लोक तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सोहार्द व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेख

| क्र०सं० | अधिनियम, नियम, रेग्युलेशन का नाम |
|----------------|--|
| 1 | पुलिस अधिनियम 1861 |
| 2 | भारतीय दण्ड संहिता 1861 |
| 3 | दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 |
| 4 | उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861 |
| 5 | उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861 |
| 6 | साक्ष्य अधिनियम 1872 |
| 7 | आर्म्स एक्ट 1959 |
| 8 | सिविल अधिकार संरक्षण अधि० 1955 |
| 9 | अनु० जाति व अनु० जनजाति० अधिनियम 1989 |
| 10 | केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधि० 1949 |
| 11 | आवश्यक वस्तु अधि० 1955 (उ० प्र० संशोधन अधि० 1978) |
| 12 | चोर बाजारी नि० और आवश्यक वस्तु प्रदय अधि० 1980 |
| 13 | खाद्य अपमिश्रण नि० अधि० 1954 |
| 14 | उपभोक्ता संरक्षण अधि० 1986 |
| 15 | पशु अतिचार अधि० 1861 |
| 16 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 |
| 17 | बन्दी अधिनियम 1900 |
| 18 | सर्वाजनिक जुआ अधिनियम 1867 |
| 19 | किशोर न्याय अधिनियम 1986 |
| 20 | दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 |
| 21 | राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 |
| 22 | स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 |
| 23 | स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 |
| 24 | बन्दियों की शिनाख्त अधिनियम 1930 |
| 25 | लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980 |
| 26 | विस्फोटक अधिनियम 1884 |
| 27 | विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 |
| 28 | कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 |
| 29 | अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 |
| 30 | अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 |
| 31 | महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिशेघ अधिनियम 1986 |
| 32 | भारतीय वन अधिनियम 1927 |
| 33 | वन संरक्षण अधिनियम 1980 |
| 34 | विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2004 |
| 35 | बन्दी न्यायालयों में उपस्थिति अधिनियम 1955 |
| 36 | विष अधिनियम 1919 |

| | |
|----|---|
| 37 | मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 |
| 38 | राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रकिया विनयम 1994 |
| 39 | रेल अधिनियम 1989 |
| 40 | रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 |
| 41 | रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 |
| 42 | पुलिस बल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम 1966 |
| 43 | पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922 |
| 44 | राज्य सशस्त्र पुलिस बलों (कानूनों का विस्तार) अधिनियम 1952 |
| 45 | केबिल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 |
| 46 | ब्याज अधिनियम 1978 |
| 47 | उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986 |
| 48 | उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 |
| 49 | उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग 1999 |
| 50 | उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण नियमावली 1970 |
| 51 | उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976 |
| 52 | उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948 |
| 53 | उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1983 |
| 54 | उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979 |
| 55 | उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम 1944 |
| 56 | उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) 1991 |
| 57 | उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(अनुशासन और अपील नियमावली) 1999 |
| 58 | उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 |
| 59 | उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियामावली 1964 |
| 60 | उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964 |
| 61 | उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली 1964 |
| 62 | उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधिनियम 1994 |
| 63 | सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 |
| 64 | सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 |
| 65 | वित्तीय हस्त पुस्तिका |
| 66 | समय-समय पर निर्गत शासनादेश |
| 67 | उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश |
| 68 | उ.प्र.विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधि.2020 |

उक्त अतिरिक्त तत्समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एव विनियमित करती है।

6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी

6.1 विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख

| क्र० सं० | अभिलेख की प्रकृति | उपलब्ध सूचना का विवरण | इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी | अवधि जब तक उपलब्ध होगी |
|----------|---------------------|---|----------------------------------|--|
| 1 | प्रथम सूचना रिपोर्ट | अपराधो के संबंध में दी गई सूचनाएं एवं विवेचक के संबंध में | सभी पुलिस थानों पर | तीन साल |
| 2 | दैनिकी सामान्य | सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस अधि० / कर्मचारीगण की रवानगी वापसी ड्यूटी का विवरण | सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में | एक साल थाने पर उसके बाद 5 साल तक पुलिस कार्यालय के रिकार्ड रूम में |

| | | | | |
|----|---|--|--------------------------|---|
| 3 | सभी स्टैण्डिंग आर्डर | पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधि०/कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण | सभी शाखा व थानों पर | स्थायी रूप से रख जाएगा राजपत्रित अधि०के आदेश पर ही नष्ट होगी |
| 4 | भगोडा(मफरूर) रजिस्टर | सभी फरार अपराधियों का विवरण | सभी थानो पर | 5 वर्ष |
| 5 | रोकड बही | धनराशि की आमद व खर्च का विवरण | सभी थाने/ पुलिस लाइन में | एक वर्ष थाना इकाई उसके बाद 9 वर्ष तक पुलिस आफिस रिकार्ड रूम में |
| 6 | आरोप पत्र | अभियोगों में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट | सभी पुलिस थाने पर | एक साल |
| 7 | चिक खुराक | अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति है | सभी थाने पर | तीन साल |
| 8 | 356 द०प्र०सं० के अधीन दोष सिद्ध अपराधी रजिस्टर | उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण | .. | जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो |
| 9 | 432 द०प्र०सं० के अधीन सशर्त मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर | .. | .. | .. |
| 10 | गोपनीय सप्ताहिक रिपोर्ट | थानाक्षेत्र की साम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना | .. | एक साल |
| 11 | अपराध रजिस्टर | थानाक्षेत्र में हुए अपराधिक घटनाओं का विवरण | सभी थाने पर | पांच साल |
| 12 | चौकीदारो का अपराध नोट बुक | चौकीदारके ग्राम में घटित घटनाओं का विवरण | सूची चौकीदारो के पास | चौकीदार को जबतक नई नोट बुक प्रदान न की जाए |
| 13 | ग्राम अपराध रजिस्टर (रजिस्टर न० 8) | उस गांव में घटित होने वाले अपराध का विवरण | सभी थानों पर | स्थायी रूप में |
| 14 | डिफाल्टर रजिस्टर | कर्मचारी की त्रुटि व उसके लिए दी गई हिदायत का अल्लेख | सभी थानो/ पुलिस लाइन में | एक साल पूर्ण होने के बाद |
| 15 | केस डायरी | विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण | सभी थानो/ विवेचको के पास | पांच साल |
| 16 | अन्तिम रिपोर्ट | अभियोग में विवेचनोपरान्त प्रेषित रिपोर्ट | सभी थाने पर | एक साल |
| 17 | अगुष्ठ छाप रजिस्टर | अपराधियों का नाम पता जिसका अगुष्ठछाप लिया गया है। | सभी थाने पर | स्थानी रूप में |
| 18 | चिक गैरदस्तन्दाजी | अहस्तक्षेपीय अपराधो की सूचक | .. | तीन साल |
| 19 | गिरोह रजिस्टर | पंजीकृत गैगो का विवरण | सभी थाने पर व | पूर्ण होने के पांच साल |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | डीसीआरबी में | तक |
| 20 | मरम्मत रजिस्टर | मरम्मत के लिये प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण | सभी थानो पर | दो साल |
| 21 | जांचोपरान्त 'अ' | थानाक्षेत्र के दुराचारियों के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र | " | तीन साल |
| 22 | जांच पर्ची 'ब' | थानाक्षेत्र में मिलने वाले संदिग्ध आचरण के व्यक्तियों के लिये जारी पत्र | " | " |
| 23 | सूची हिस्ट्रीशीट | दुराचारियों का विवरण | " | स्थायी रूप से |
| 24 | पंचायतनामा जिल्द | अस्वाभाविक मृत्यु की जांच का विवरण | सभी थानो पर | एक साल |
| 25 | निरीक्षण पुस्तिका | निरीक्षण का विवरण | सभी थानो पर व शाखाओं में | पांच साल |
| 26 | माल मसरूका रजिस्टर | चोरी / लूटी गई एवं बरामद सम्पत्ति का विवरण | सभी थानो पर | पांच साल |
| 27 | रिमाण्डशीट पु0प्रपत्र | अभियुक्तों को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र | सभी थानो पर | एक साल |
| 28 | मजिस्ट्रेटों के लिए निरीक्षण पुस्तिका | मजिस्ट्रेटों के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख | सभी थाने पर | पूर्णता से 5 साल तक |
| 29 | 109 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही | संदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु | " | दो वर्ष |
| 30 | 110 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही | अभ्यस्त अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु | " | " |
| 31 | थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका | क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनायें | " | स्थाई |
| 32 | परिपत्र सूचनाओं की फाइल | समस्त परिपत्र | सभी कार्यालयों में | किसी राजपत्रित अधिकारी के नष्ट किये जाने के आदेश तक |
| 36 | परिपत्र अनुदेशों की फाइल | परिपत्रों संबंधी निर्देश | " | " |
| 37 | अपराधी जनजातियों का रजिस्टर | अपराधियों जनजातियों के संबंध में | समस्त थानों पर | उनके मृत्यु तक |
| 38 | सक्रिय अपराधी रजिस्टर | क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र के सक्रिय अपराधों की सूची | " | निगरानी उचित समझे जाने तक |
| 39 | आर्डर बुक प्रार्थना पत्र | प्रार्थना पत्रों की सूची | " | 5 वर्षों तक |
| 40 | आर्डर बुक न्यायालय | कोर्ट प्रोसीजर की सूची | " | 5 वर्षों तक |
| 41 | आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र | प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची | " | 5 वर्षों तक |
| 42 | भवन रजिस्टर | थाने की खसरा खतौनी व भवनों के संबंध में। | " | स्थायी |
| 43 | गुमशुदगी रजिस्टर | गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध | " | स्थायी |

| | | | | |
|----|---------------------------|--|--------------------------|-------------|
| | | मे। | | |
| 44 | गिरफ्तारी रजिस्टर | गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में सूचना | .. | 5 वर्षों तक |
| 45 | जमानत रजिस्टर | दी जाने वाली जमानतों का विवरण | .. | 5 वर्षों तक |
| 46 | काज लिस्ट रजिस्टर | न्यायालय द्वारा अभियोजन की तिथियों व कार्यवाही का विवरण | .. | 5 वर्षों तक |
| 47 | जनशिकायत रजिस्टर | थाना कार्या0/अन्य कार्या0 में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र | समस्त थानों/कार्यालय में | 2 वर्षों तक |
| 48 | किरायेदार सत्यापन रजिस्टर | क्षेत्र के किरायेदारों के सत्यापन के संबंध में | समस्त थानों पर | स्थायी |
| 49 | नियुक्ति रजिस्टर | थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के संबंध में | .. | स्थायी |
| 50 | अवकाश रजिस्टर | आकस्मिक अवकाशों का विवरण | समस्त कार्यालयों में | 1 वर्ष तक |

6.2 क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

| क्र0 सं0 | अभिलेख की प्रकृति | उपलब्ध सूचना का विवरण | इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी | अवधि जब तक उपलब्ध होगी |
|----------|---------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | अपराध रजिस्टर | सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरियों का संक्षिप्त विवरण | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | 05 वर्ष तक |
| 2 | जेड रजिस्टर | केस डायरियों को न्यायालय भेजने के दिनोंक सहित संक्षिप्त विवरण | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | स्थायी |
| 3 | आर्डर बुक प्रार्थना पत्र | प्रार्थना पत्रों की सूची | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | 05 वर्ष तक |
| 4 | परिपत्र सूचनाओं की फाइल | समस्त परिपत्र | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने |
| 5 | आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र | प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | 05 वर्ष तक |
| | रजिस्टर | | कार्यालय में | |
| 7 | विशेष अपराध पत्रावलियाँ | विशेष अपराधों का विवरण | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | स्थायी |
| 8 | जाँच पत्रावलियाँ | शिकायतों की जाँच के संबंध में | क्षेत्राधिकारी कार्यालय में | 05 वर्ष तक |

6.3 अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

| क्र0 सं0 | अभिलेख की प्रकृति | उपलब्ध सूचना का विवरण | इकाई/शाखा जहाँ उपलब्ध होगी | अवधि जब तक उपलब्ध होगी |
|----------|---------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| 1 | आर्डर बुक प्रार्थना | प्रार्थना पत्रों की सूची | अपर पुलिस | 05 वर्ष तक |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|--------------------------------|--|
| | पत्र | | अधीक्षक कार्यालय में | |
| 2 | परिपत्र सूचनाओं की फाइल | समस्त परिपत्र | अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक |
| 3 | आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र | प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची | अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 05 वर्ष तक |
| 4 | अवकाश रजिस्टर | आकस्मिक अवकाशों का विवरण | अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 01 वर्ष तक |
| 5 | नियुक्ति रजिस्टर | क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में | अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | स्थायी |
| 6 | जाँच पत्रावलियाँ | शिकायतों की जाँच के संबंध में | अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 05 वर्ष तक |

6.4 पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

| | | | | |
|----------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| क्र० सं० | अभिलेख की प्रकृति | उपलब्ध सूचना का विवरण | इकाई/ शाखा जहाँ उपलब्ध होगी | अवधि जब तक उपलब्ध होगी |
| 1 | हिस्ट्रीशीट इन्डेक्स | जनपद के दुराचारियों का विवरण | वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | स्थायी |
| 2 | पुरस्कार रजिस्टर | जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची | वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 05 वर्ष तक |
| 3 | आर्डर बुक प्रार्थना पत्र | प्रार्थना पत्रों की सूची | शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय में | 05 वर्ष तक |
| 4 | परिपत्र सूचनाओं की फाइल | समस्त परिपत्र | प्रधान लिपिक कार्यालय | अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक |
| 5 | आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र | प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची | वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 05 वर्ष तक |
| 6 | अवकाश रजिस्टर | आकस्मिक अवकाशों का विवरण | वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | 01 वर्ष तक |
| 7 | नियुक्ति रजिस्टर | क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में | वाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में | स्थायी |
| 8 | सर्विस बुक/चरित्र पंजिका | समस्त रैंकों के कर्मचारियों के सेवा इतिहास | प्रधान लिपिक कार्यालय | स्थायी |
| 9 | कैश बुक / पे-बिल रजिस्टर | समस्त भुगतानों के लेन-देन के संबंध में | आंकिक शाखा | स्थायी |
| 10 | आकस्मिकता निधि रजिस्टर | आकस्मिकता निधि पर भारित व्ययों के संबंध में | आंकिक शाखा | स्थायी |
| 11 | स्टाक रजिस्टर | सामान्य भण्डार की मदों का क्रय व वितरण | पुलिस लाइन | स्थायी |

| | | | | |
|----|----------------------|---|------------|--------------|
| 12 | हिन्दी आदेश पुस्तिका | समस्त आदेश जिनका प्रभाव वित्तीय भार पर पड़ता है | पुलिस लाइन | 40 वर्षों तक |
|----|----------------------|---|------------|--------------|

7. जनता की परामर्श दायी समितियां

जनपदीय पुलिस में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर निति निर्धारण में विचार हेतु निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान है—

| क्र. सं. | समिति का नाम | समिति का गठन | भूमिका एवं दायित्व | गोष्ठियों की आवृत्ति |
|----------|----------------------------|--|--|------------------------|
| 1 | ग्राम सुरक्षा समिति | प्रत्येक गांव में 15 से 20 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है | गांव में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकाबला करना | समय-समय पर |
| 2 | पुलिस पेन्शनर्स बोर्ड | जनपद के पुलिस पेशनर्स के द्वारा गठित होती है | पुलिस पेन्शनर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना | त्रैमासिक |
| 3 | उद्योग बन्धु | जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों की बैठक | उद्योगों के विकास में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु | त्रैमासिक |
| 4 | जिला सड़क सुरक्षा समिति | जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों की समिति | दुर्घटनाओं के निवारण हेतु | त्रैमासिक |
| 5 | जिला स्तरीय पत्रकार समिति | जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद के पत्रकारों की समिति | पत्रकारों की पुलिस से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु | त्रैमासिक |
| 6 | शांति समिति | क्षेत्र के सम्भ्रान्त नागरिकों की समिति | सम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने हेतु | आवश्यकता-नुसार |
| 7 | मेला समिति | मेले से संबंधित सम्भ्रान्त व्यक्तियों की समिति | प्रमुख मेलों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु | मेले के आयोजन से पूर्व |
| 8 | सांसद व विधायकगण की गोष्ठी | समस्त सांसद व विधायकगण की गोष्ठी | शिकायतों के निस्तारण व सुझाव/ परामर्श के लिये | मासिक |

8. बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

9. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टेलीफोन डायरेक्ट्री

जनपद एटा के पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर

| नाम/पद पुलिस अधिकारीगण | नाम अधिकारीगण | आवास नं० | कार्यालय नं० | सी.यू.जी. मोबाइल नं० |
|------------------------|---------------|----------|--------------|----------------------|
|------------------------|---------------|----------|--------------|----------------------|

| | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|--------|------------|
| वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,एटा | श्री उदय शंकर सिंह | 231942 / 233303 | 233319 | 9454400265 |
| अपर पुलिस अधीक्षक एटा | श्री धनंजय सिंह कुशवाहा | 233520 | 233319 | 9454401041 |
| अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध एटा | श्री विनोद कुमार पाण्डेय | 233520 | — | 9454405203 |
| क्षेत्राधिकारी नगर | श्री राजकुमार सिंह | 233445 | — | 9454401246 |
| क्षेत्राधिकारी सदर | श्री सुधांशु शेखर | | | 9454401247 |
| क्षेत्राधिकारी सकीट | श्री संगमलाल मिश्रा | — | — | 9454401249 |
| क्षेत्राधिकारी जलेसर | श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर | 222204 | 222245 | 9454401252 |
| क्षेत्राधिकारी अलीगंज | श्री विक्रान्त द्विवेदी | 257204 | 257204 | 9454401250 |
| क्षेत्राधिकारी पुलिस कार्यालय सीएफओ | श्री सुनील कुमार त्यागी | | | |
| एफ0एस0ओ0 एटा | श्री राहुल गौतम | | 233455 | 9454418393 |
| आर0आई0 रेडियो | श्री शहनवाज हुसैन | | 100 | 9454417438 |
| प्रतिसार निरीक्षक एटा | श्री हरपाल सिंह | | 233619 | 9454402354 |
| अभिसूचना शाखा | श्री अजय कुमार त्रिपाठी | | | 9454402028 |
| जिला नियंत्रण कक्ष | श्री शहनवाज हुसैन | 233232 | | |
| कोत0 नगर | श्री सुधीर कुमार सिंह | | 233676 | 9454403246 |
| कोतवाली देहात | श्री सुनील यादव | | 233658 | 9454403247 |
| बगवाला | श्री नरेश सिंह | | | 9454403237 |
| मरहरा | श्री सत्यपाल सिंह | | 262246 | 9454403249 |
| थमरहची | श्री छत्रपाल सिंह | | 266295 | 9454403250 |
| थपलुआ | श्री दिनेशपाल सिंह | | 284233 | 9454403254 |
| सकीट | श्री अनुज चौहान | | 286233 | 9454403258 |
| म्लावन | श्री देवेन्द्र नाथ मिश्रा | | 289278 | 9454403248 |
| थरजोर | श्री रुपेश कुमार वर्मा | | | 9454403256 |
| जलेसर | श्री जगदीश चन्द्र | | 222223 | 9454403241 |
| अवागढ | श्री फूलचन्द्र | | 224224 | 9454403236 |
| सकरौली | श्री राजेश चौहान | | 227616 | 9454403259 |
| निधौलीकलां | श्री मनोज कुमार | | 264233 | 9454403252 |
| टलीगंज | श्री प्रेमपाल सिंह | | 257206 | 9454403234 |
| जैथरा | श्री रामेन्द्र शुक्ला | | 259233 | 9454403240 |
| श्राजाकारामपुर | श्री संजयपाल सिंह | | 253222 | 9454403255 |
| नयागॉव | श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव | | 252954 | 9454403251 |
| जसरथपुर | श्री कृष्ण कान्त लोधी | | | 9454403242 |
| महिला थाना | श्रीमती नन्दनी सिंह | | | 9454404869 |

10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

10.1 सशस्त्र व नागरिक पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

| क्रसं | पद | वेतनमान | लेवल | पौष्टिक आहार भत्ता | वर्दी धुलाई भत्ता |
|-------|----|---------|------|-----------------------|----------------------|
|-------|----|---------|------|-----------------------|----------------------|

| | | | | | प्रतिमाह |
|---|----------------------|-------------------|----|------|----------|
| 1 | वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक | 1,23,000-2,15,900 | 13 | 600 | - |
| 2 | अपर पुलिस अधीक्षक | 67,700-2,00,800 | 11 | 800 | 300 |
| 3 | पुलिस उपाधीक्षक | 56,100-1,77,500 | 10 | 800 | 300 |
| 4 | निरीक्षक | 44,900-1,42,400 | 7 | 1500 | 188 |
| 5 | उप निरीक्षक | 35,400-1,12,400 | 6 | 1500 | 188 |
| 6 | मुख्य आरक्षी | 25,500-61,100 | 4 | 1875 | 188 |
| 7 | आरक्षी | 21,700-69,100 | 3 | 1875 | 188 |
| 8 | अनुचर | 18,000-56,900 | 1 | 1688 | 156 |

10.2 रेडियो शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

| क्र सं | पद | वेतनमान | लेवल | पौष्टिक आहार भत्ता | वर्दी धुलाई भत्ता |
|--------|---|-----------------|------|--------------------|-------------------|
| 1 | रेडियो निरीक्षक | 44,900-1,42,400 | 7 | 1500 | 188 |
| 2 | रेडियोअनुरक्षण अधिकारी /रे0 केन्द्र अधिकारी | 35,400-1,12,400 | 6 | 1500 | 188 |
| 3 | हेड आपरेटर | 25,500-61,100 | 4 | 1875 | 188 |
| 4 | सहायक परिचालक | 21,700-69,100 | 3 | 1875 | 188 |
| 5 | अनुचर / सन्देशवाहक | 18,000-56,900 | 1 | 1688 | 156 |

10.3 फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

| क्र0 सं0 | पद | वेतनमान | लेवल | पौष्टिक आहार भत्ता | वर्दी धुलाई भत्ता |
|----------|---|-----------------|------|--------------------|-------------------|
| 1 | अग्नि शमन अधिकारी | 44,900-1,42,400 | 7 | 1500 | 188 |
| 2 | द्वितीय अग्निशमनअधिकारी | 35,400-1,12,400 | 6 | 1500 | 188 |
| 3 | लीडिंग फायरमैन/ हे0कां0 ड्रा0 फायर सर्विस | 25,500-61,100 | 4 | 1875 | 188 |
| 4 | फायरमैन | 21,700-69,100 | 3 | 1875 | 188 |
| 5 | अनुचर | 18,000-56,900 | 1 | 1688 | 156 |

10.4 लिपिक वर्गीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

| क्र0 सं0 | पद | वेतनमान | लेवल | पौष्टिक आहार भत्ता | वर्दी धुलाई भत्ता | विशेष भत्ता |
|----------|-----------------------------|-----------------|------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1 | एस0आई0 (एम0) | 35,400-1,12,400 | 6 | 1500 | 188 | — |
| 2 | ए0एस0आई0 (एम0) | 29,200-92,300 | 5 | 1875 | 188 | — |
| 3 | कान्स0 (एम0) | 21,700-69,100 | 3 | 1875 | 188 | — |
| 4 | उर्दू अनुवादक/सह0कनि0 लिपिक | 18,000-56,900 | 1 | 1688 | 156 | — |

10.5 परिवहन शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/पारितोषिक

| क्र० सं० | पद | वेतनमान | लेवल | पौष्टिक आहार भत्ता | वर्दी धुलाई भत्ता | विशेष भत्ता |
|----------|-------------------|-----------------|------|--------------------|-------------------|-------------|
| 1 | उ०नि० परिवहन शाखा | 35,400-1,12,400 | 6 | 1500 | 188 | 300 |
| 2 | मुख्य आरक्षी | 25,500-61,100 | 4 | 1875 | 188 | 300 |
| 3 | आरक्षी चालक | 21,700-69,100 | 3 | 1875 | 188 | 300 |
| 4 | चतुर्थ श्रेणी | 18,000-56,900 | 1 | 1688 | 156 | — |

10.6 स्थानीय अभिसूचना ईकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/ पारितोषिक

| क्र०सं० | पद | वेतनमान | लेवल | पौष्टिक आहार भत्ता | विशेष भत्ता |
|---------|-----------------------|-----------------|------|--------------------|-------------|
| 1 | निरीक्षक अभिसूचना | 44,900-1,42,400 | 7 | 1500 | 188 |
| 2 | उ०नि० अभिसूचना | 35,400-1,12,400 | 6 | 1500 | 188 |
| 3 | मुख्य आरक्षी अभिसूचना | 25,500-61,100 | 4 | 1875 | 188 |
| 4 | आरक्षी अभिसूचना | 21,700-69,100 | 3 | 1875 | 188 |

11. बजट

| मानक मद | अनुदान | दि० 31/12/2020 तक व्यय | शेष धनराशि |
|---------|--------|------------------------|------------|
|---------|--------|------------------------|------------|

2055- पुलिस आयोजनेत्तर-00-003-शिक्षा और प्रशिक्षण 04- शिक्षा एवं प्रशिक्षण मुख्य

| | | | |
|---------------------------------------|--------|--------|------|
| 02 मजदूरी व्यय | 279000 | 276862 | 2138 |
| 08 कार्यालय व्यय | 0 | 0 | 0 |
| 11 लेखन सामग्री | 0 | 0 | 0 |
| 12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 0 | 0 | 0 |
| 26 मशीन और सज्जा उपकरण | 0 | 0 | 0 |
| 42 अन्य व्यय | 0 | 0 | 0 |
| 44 प्रशिक्षण एवं अन्य प्रासांगिक व्यय | 0 | 0 | 0 |
| 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय | 0 | 0 | 0 |
| 29 अनुरक्षण/विशेष मरम्मत | 0 | 0 | 0 |

2055-पुलिस-101 अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-03 अभिसूचना अनुभाग मुख्य

| | | | |
|-----------------------------|---------|----------|--------|
| 01 वेतन | 2366200 | 15339000 | 832300 |
| 03 महगाई भत्ता | 863700 | 475509 | 388191 |
| 04 यात्रा भत्ता | - | - | - |
| 05 स्थानान्तरण यात्रा भत्ता | - | - | - |
| 06 अन्य भत्ते | 142700 | 138321 | 4379 |
| 55 मकान किराया भत्ता | 26600 | 24030 | 2570 |
| 56 नगर प्रतिकर भत्ता | - | - | - |

2055-पुलिस 00-109 जिला पुलिस-03 जिला पुलिस मुख्य

| | | | |
|----------------|-------|---|-------|
| 02 मजदूरी व्यय | 57000 | 0 | 57000 |
|----------------|-------|---|-------|

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| 04 यात्रा भत्ता | 23166000 | 22125474 | 1040526 |
| 05 यात्रा भत्ता स्थानान्तरण | 0 | 0 | 0 |
| 08 कार्यालय व्यय | 222000 | 221993 | 7 |
| 09 विद्युत व्यय | 10755000 | 0 | 10755000 |
| 10 जलकर | 171000 | 0 | 171000 |
| 11 लेखन सामग्री व व्यय | 89000 | 57355 | 31645 |
| 12 फर्नीचर | 37000 | 0 | 37000 |
| 15 अनु0/पेट्रोल डीजल का व्यय | 2622000 | 505117 | 2116883 |
| 16 व्यावसायिक सेवाओं के लिये | 0 | 0 | 0 |
| 17 किराया उपशुल्क | 214000 | 0 | 214000 |
| 20 सहायक अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) | 0 | 0 | 0 |
| 23 गुप्त सेवा | 6000 | 0 | 6000 |
| 26 मशीन और सज्जा उपकरण | 0 | 0 | 0 |
| 29 अनुरक्षण वि0भरम्मत | 612263 | 0 | 612263 |
| 42 अन्य व्यय | 233000 | 118181 | 114819 |
| 42 अन्य व्यय (अनुग्रहीत) | 0 | 0 | 0 |
| 42 अन्य व्यय (ग्राम चौकीदार) | 0 | 0 | 0 |
| 42 अन्य व्यय (सुख सुविधा निधि) | 48000 | 14228 | 33772 |
| 42 अन्य व्यय (09 पुलिस कल्याण के लिये विशिष्ट) | 64000 | 54000 | 1000 |
| 42 अन्य व्यय (कोरोना) | 0 | 0 | 0 |
| 44 प्रशिक्षण एवं अन्य प्रासांगिक व्यय | 0 | 0 | 0 |
| 45 अवकाश यात्रा भत्ता | 0 | 0 | 0 |
| 46 कम्प्यूटर हार्ड वेयर/साफ्ट वेयर क्रय | 0 | 0 | 0 |
| 47 कम्प्यूटर अनुरक्षण | 0 | 0 | 0 |
| 49 चिकित्सा व्यय | 1459000 | 0 | 1459000 |
| 49 चिकित्सा व्यय (MT) | 27000 | 8000 | 19000 |
| 51 वर्दी व्यय | 0 | 0 | 0 |
| 55 मकान किराया भत्ता | 0 | 0 | 0 |
| 58 आउट सोसिंग | 205000 | 199328 | 5672 |

2055-पुलिस 00-109 जिला पुलिस-04 राज्य रेडियो अनुभाग

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 01 वेतन | 5126000 | 3307040 | 1818960 |
| 03 महगाई भत्ता | 1743000 | 1025015 | 717985 |
| 04 यात्रा भत्ता | 110825 | - | 110825 |
| 05 स्थानान्तरण यात्रा भत्ता | - | - | - |
| 06 अन्य भत्ते | 138000 | 118774 | 19226 |
| 08 कार्यालय व्यय | 5000 | - | 5000 |
| 29 अनुरक्षण | 6000 | - | 6000 |
| 44 प्रशिक्षण एवं अन्य प्रासांगिक व्यय | - | - | - |
| 49 चिकित्सा व्यय | - | - | - |
| 55 मकान किराया भत्ता | 160552 | 14552000 | 146000 |

| | | | |
|----------------------|--|--|--|
| 56 नगर प्रतिकर भत्ता | | | |
|----------------------|--|--|--|

2055-पुलिस -109 जिला पुलिस-05 मोटर परिवहन अनुभाग

| | | | |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| 01 वेतन | 6734000 | 3254400 | 3479600 |
| 03 महगाई भत्ता | 2290000 | 1008864 | 1281136 |
| 04 यात्रा भत्ता | 0 | 0 | 0 |
| 05 स्थानान्तरण यात्रा भत्ता | 0 | 0 | 0 |
| 06 अन्य भत्ते | 367000 | 191598 | 175402 |
| 15 अनु0/पेट्रोल, डीजल का क्रय | 0 | 0 | 0 |
| 45 अवकाश यात्रा व्यय | 0 | 0 | 0 |
| 49 चिकित्सा व्यय | 27000 | 17333 | 9667 |
| 51 वर्दी भत्ता | 0 | 0 | 0 |
| 55 मकान किराया भत्ता | 184000 | 923600 | 91640 |
| 56 नगर प्रतिकर भत्ता | 0 | 0 | 0 |

2055-पुलिस आयोजनेत्तर 109-पुलिस, 07(थाना/चौकी) के सम्बन्ध में व्यय

| | | | |
|-------------------------------|--------|-------|--------|
| 02 मजदूरी मुख्य | 198000 | 36000 | 162000 |
| 08 कार्यालय व्यय | 378000 | 0 | 378000 |
| 11 लेखन सामग्री | 126000 | 0 | 126000 |
| 12 फर्नीचर | 63000 | 0 | 63000 |
| 15 अनु0/ पेट्रोल डीजल का क्रय | 667000 | 0 | 667000 |
| 23 गुप्त सेवा | 16000 | 0 | 16000 |
| 42 अन्य व्यय | 0 | 0 | 0 |
| 46 कम्प्यूटर हार्ड/साफ्टवेयर | 0 | 0 | 0 |
| 47 कम्प्यूटर अनु0/स्टेशनरी | 0 | 0 | 0 |

2055-पुलिस आयोजनेत्तर 109-जिला पुलिस, 13-डायल-100 परियोजना

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| 08 कार्यालय व्यय | 0 | 0 | 0 |
| 15 मोटर अनुरक्षण | 0 | 0 | 0 |
| 16 व्यावासायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए | 6537024 | 4935528 | 1601496 |
| 44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासनिक | 0 | 0 | 0 |
| 19 विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय | 0 | 0 | 0 |

2055 पुलिस आयोजनेत्तर 110 ग्राम पुलिस 03 ग्राम पुलिस अधिष्ठान

| | | | |
|------------------|---------|---------|---------|
| 01 वेतन | 7650000 | 3535000 | 4115000 |
| 08 कार्यालय व्यय | 0 | 0 | 0 |
| 42 अन्य व्यय | 0 | 0 | 0 |

2055- पुलिस आयो0 113 पुलिस कर्मियों का कल्याण 03 पुलिस कर्मियों की सुख सुविधा

| | | | |
|--------------|--------|--------|--------|
| 42 अन्य व्यय | 233000 | 118181 | 114819 |
|--------------|--------|--------|--------|

2055-पुलिस आयो0 113 पुलिस कर्मियों का कल्याण, 04 चिकित्स व्यय 01 जिला पुलिस मुख्य

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 01 वेतन | 945000 | 634200 | 310800 |
|---------|--------|--------|--------|

| | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 03 महगाई भत्ता | 321000 | 215667 | 105333 |
| 06 अन्य भत्ते | 12000 | - | 12000 |
| 08 कार्यालय व्यय | - | - | - |
| 11 लेखन सामग्री | - | - | - |
| 12 फर्नीचर | - | - | - |
| 42 अन्य व्यय | - | - | - |
| 43 सामग्री एवं सम्पूर्ति | - | - | - |
| 55 मकान किराया भत्ता | 24000 | 26290 | -2220 |
| 56 नगर प्रतिकर भत्ता | - | - | - |
| 57 बन्दी प्रकटिस भत्ता | 187000 | 612500 | 125500 |

2055-पुलिस आयो0 113 पुलिस कर्मियों का कल्याण, 06 बैनीबोलेण्ट फण्ड के लिए

| | | | |
|-----------------|-------|--|-------|
| 20 सहायक अनुदान | 44000 | | 44000 |
|-----------------|-------|--|-------|

2055-पुलिस आयो0 113 पुलिस कर्मियों का कल्याण, 09 बैनीबोलेण्ट फण्ड के लिए

| | | | |
|--------------|--------|--------|------|
| 42 अन्य व्यय | 178200 | 177000 | 1200 |
|--------------|--------|--------|------|

2055-पुलिस आयो0 114 बैतोर और कम्प्यूटर 03- पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र

| | | | |
|----------------------|----------|---------|---------|
| 01 वेतन | 12200000 | 2211260 | 3988740 |
| 03 महगाई भत्ता | 2000000 | 1372427 | 627573 |
| 04 यात्रा भत्ता | 11000 | 6786 | 4214 |
| 06 अन्य भत्ते | 494000 | 494208 | -208 |
| 49 चिकित्सा व्यय | 96700 | 82413 | 14287 |
| 55 मकान किराया भत्ता | 126000 | 145210 | -19210 |
| 56 नगर प्रतिकर भत्ता | 21000 | 2080 | 18920 |

2055-पुलिस आयो0 115 पुलिस बल का आधुनिकरण 03 राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने वाला व्यय

| | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|
| 01 वेतन | 6531000 | 4836770 | 1694230 |
| 03 महगाई भत्ता | 1144000 | 822392 | 321608 |
| 06 अन्य भत्ते | 147000 | 115880 | 31120 |
| 55 मकान किराया भत्ता | 186000 | 142900 | 43100 |
| 56 नगर प्रतिकर भत्ता | 15000 | 2080 | 12920 |

2055-पुलिस आयो0 800 अन्य व्यय 03 भारत सरकार की ओर से रखा गया बल

| | | | |
|-----------------------------|---------|---------|--------|
| 01 वेतन | 1663900 | 1288360 | 375540 |
| 03 महगाई भत्ता | 348450 | 218586 | 129864 |
| 04 यात्रा भत्ता | 15500 | | 15500 |
| 05 यात्रा भत्ता स्थानान्तरण | 29100 | | 29100 |
| 06 अन्य भत्ते | 98100 | 81760 | 16340 |
| 08 कार्यालय व्यय | 1000 | | 1000 |
| 11 स्टेशनरी | 500 | | 500 |
| 55 मकान किराया भत्ता | 45500 | 55200 | -9700 |
| 56 नगर प्रतिकर भत्ता | 4300 | 480 | 3820 |

2055-पुलिस आयो0 800 अन्य व्यय, 15- सडक सुरक्षा कोष से व्यय

| | | | |
|--------------|--------|--------|------|
| 42 अन्य व्यय | 297700 | 287809 | 9891 |
|--------------|--------|--------|------|

2070 अन्य प्रशासनिक सेवाये 108 अग्नि से बचाव एवं नियन्त्रण 03 प्रशासनिक

| | | | |
|---|---------|---------|---------|
| 01 वेतन | 6500000 | 3899244 | 2600756 |
| 03 महगाई भत्ता | 1700000 | 1207047 | 392953 |
| 04 यात्रा भत्ता | 0 | 0 | 0 |
| 05 यात्रा भत्ता स्थानान्तरण | 0 | 0 | 0 |
| 06 अन्य भत्ते | 320000 | 277410 | 42590 |
| 08 कार्यालय व्यय | 0 | 0 | 0 |
| 09 विद्युत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| 11 स्टेशनरी | 0 | 0 | 0 |
| 12 फर्नीचर | 0 | 0 | 0 |
| 13 टेलीफोन | 0 | 0 | 0 |
| 15 मोटर अनुरक्षण | 0 | 0 | 0 |
| 42 अन्य व्यय | 0 | 0 | 0 |
| 44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य | 0 | 0 | 0 |
| 45 अवकाश यात्रा व्यय | 0 | 0 | 0 |
| 46 कम्प्यूटर हार्ड वेयर/साफ्ट वेयर क्रय | 0 | 0 | 0 |
| 47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/स्टेशनरी | 0 | 0 | 0 |
| 49 चिकित्सा व्यय | 0 | 0 | 0 |
| 51 वर्दी व्यय | 0 | 0 | 0 |
| 52 पुनरीक्षित वेतन अवशेष | 0 | 0 | 0 |
| 55 मकान किराया भत्ता | 75000 | 50440 | 24560 |
| 56 नगर प्रतिकर भत्ता | 0 | 0 | 0 |

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200अन्य

| | | | |
|--------------|--------|--------|---|
| 42 अन्य व्यय | 100000 | 100000 | 0 |
|--------------|--------|--------|---|

2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण आयो0 60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

| | | | |
|--------------|------|--|------|
| 42 अन्य व्यय | 5400 | | 5400 |
|--------------|------|--|------|

4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय 207 राज्य पुलिस 01 केन्द्र प्रायोजित योजनायें 10 पुलिस थानों में महिला हेल्पलाइन

| | | | |
|--------------|--------|--------|------|
| 42 अन्य व्यय | 900000 | 897550 | 2450 |
|--------------|--------|--------|------|

4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय 207 राज्य पुलिस 21 उ0प्र0 सड़क सुरक्षा कोष से व्यय

| | | | |
|------------------------|--------|--------|----|
| 26 मशीन और सज्जा/उपकरण | 568000 | 567980 | 20 |
|------------------------|--------|--------|----|

4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय 207 राज्य पुलिस 01 केन्द्र प्रायोजित योजनायें 09 मानव तस्करी रोधी इकाई

| | | | |
|--------------------|---------|--|---------|
| 42 अन्य व्यय(AHTU) | 1500000 | | 1500000 |
|--------------------|---------|--|---------|

4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय 00-800 अन्य व्यय,09 जिला पुलिस मुख्य

| | | | |
|------------------------|--------|--------|------|
| 26 मशीन और सज्जा/उपकरण | 436800 | 432944 | 3856 |
|------------------------|--------|--------|------|

कृति0 विपत्ति के कारण राहत 05 स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फन्ड-800- अन्य व्यय 06 स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फन्ड से व्यय

| | | | |
|--------------|---------|---------|-------|
| 42 अन्य व्यय | 1554000 | 1483874 | 70126 |
|--------------|---------|---------|-------|

12. सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग

वर्तमान में विभाग में कोई उपादान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्त कर्ताओं का विवरण

शून्य

14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में सूचनाओं की उपलब्धता

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के संबंध में अवगत कराया जायेगा।

15. अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें

| क्रसं | कार्य | कार्यवाही किसके स्तर से | समयावधि |
|-------|---|---|--|
| 1 | सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना | अपर पुलिस अधीक्षक एटा / संबंधित क्षेत्राधिकारी (यदि क्षेत्राधिकारी मुख्यालय पर नहीं बैठते हैं तो संबंधित थाना प्रभारी) कार्यालय | प्रातः 10 बजे से शाम 1700 बजे तक (राजकीय अवकाशो का छोड़कर) |
| 2 | सूचना निरीक्षण करने का स्थान | उपरोक्त | उपरोक्त |
| 3 | सूचना प्रदान किये जाने का स्थान | उपरोक्त | विलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में 48 घण्टे |
| 4 | सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि (10 रु0 प्रथम घण्टा, प्रथम घण्टा के पश्चात 5 रु0 प्रति 15 मिनट) | पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में नगद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक | उपरोक्त |
| 5 | सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण (10 रु0 प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क) | उपरोक्त | उपरोक्त |

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना (25000 रु0 अनधिक) भी देय होगा।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम

जनपद एटा पुलिस में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की गयी है :-

| क्र0 सं0 | जन सूचना अधिकारी का नाम व पद | राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम व पद | अपीलीय अधिकारी का पदनाम |
|----------|--|--|---|
| 1 | श्री विनोद कुमार पाण्डेय, जनसूचना नोडल अधिकारी, जनपद एटा(9454405203) | श्री राजकुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर/सहायक जनसूचना अधिकारी, एटा (9454401246) | (श्री सुरेश राव आनन्द कुलकर्णी) आई0पी0एस0 |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>श्री सुधांशु शेखर, क्षेत्राधिकारी सदर/सहायक जनसूचना अधिकारी एटा(9454401247)</p> <p>श्री संगमलाल मिश्रा, क्षेत्राधिकारी सकीट/सहायक जनसूचना अधिकारी एटा (9454401249)</p> <p>श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर, क्षेत्राधिकारी जलेसर/सहायक जनसूचना अधिकारी एटा (9454401252)</p> <p>श्री सुनील कुमार त्यागी, क्षेत्राधिकारी कार्यालय/सहायक जनसूचना अधिकारी एटा</p> <p>श्री विक्रान्त द्विवेदी क्षेत्राधिकारी अलीगंज /सहायक जनसूचना अधिकारी एटा (मो0न0-9454401250)</p> | <p>पुलिस महानिरीक्षक, अलीगढ परिक्षेत्र अलीगढ</p> |
|--|---|--|

17. अन्य कोई विहित सूचना -शून्य ।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा ।

पत्रांक: व-डी-61/2014

दिनांक: मई ,2022

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक,
उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र,
चतुर्थ तल जवाहर भवन, अशोक मार्ग,
लखनऊ-226001

कृपया अपने पत्र संख्या:टीएससी-142/2012 दिनांक-12.07.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट <https://uppolice.gov.in> पर विन्दुवार वांछित सूचना अपलोड किये जाने विषयक है।

उपरोक्त सन्दर्भ में यथापेक्षित सूचना संलग्न कर सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:यथोपरि।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद-एटा।

प्रतिलिपि- अपर पुलिस महानिदेशक, आगरा जोन आगरा को उनके पत्रांक-एजैड-एसी-(डाटा अपलोड)-2016/8749 दिनांक 16.07.2016 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2-पुलिस महानिरीक्षक, अलीगढ परिक्षेत्र, अलीगढ को उनके पत्रांक सीओएएच-डाटा अपलोड/16 दिनांक-20.07.2016 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।